

प्रपक,

मदन सिंह,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि.,  
देहरादून ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 16 मार्च 2005

विषय: पिछड़ी जाति के शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-2260/कौशल वृद्धि/2004-05, दिनांक 10 मार्च, 2005 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रताव पर विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में पिछड़ी जाति के शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु रूपये 24,000-00 (रूपये चौबीस हजार मात्र) व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।

3 उक्त आबंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके सहमत ही किया जाए।

4 उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5 अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के अन्तर्गत 'आयोजनागत पक्ष' के लेखाशीर्षक "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 03-पिछड़े वर्गों का कल्याण, 800-अन्य व्यय, -00-03-पिछड़ी जाति के शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना के "मानक मद, 20-सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता" के नामे डाला जाएगा।

क्रमशः 2.....

(A.H. Singh)  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
देहरादून

7 उक्त धनराशि के देयक शासनादेश संख्या: 3428/स.क./2004-359/स.क./2003 दिनांक 28 फरवरी 2004 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

8 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1759/XXVII(2)/2004, दिनांक 15 मार्च 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मदन सिंह)  
सचिव

संख्या : 530 (1)/ XXVII(2)/2005-05(बजट)/2005, तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
- 2 महालेखाकार, देहरादून, उत्तरांचल।
- 3 निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून, उत्तरांचल।
- 4 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तरांचल।
- 5 निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी, नैनीताल।
- 6 वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन।
- 7 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अपर सचिव।